महत्वपूर्ण

संख्या– 636 /9–9–2011–160ज/11

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

2. **नगर आयुक्त,**
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 29 अगस्त, 2012

विषय–होर्डिंग्स/विज्ञापन पटों पर नियंत्रण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–617/9–9–2012–160ज/11 दिनांक 05.04.2012 एवं संख्या 618/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 05.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित निर्गत अनुज्ञा के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश में होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण जहां शहरों का स्वरूप बिगड़ रहा है वहीं यातायात में भी असुविधा हो रही है, व दुर्घटनायें बढ़ रही हैं तथा अवैध होर्डिंग के कारण अपराधी तत्वों के साथ ही अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अधिकतर होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पट अवैध ढंग से लगे हुये हैं। तथा प्रचार सामग्री में प्रायः प्रदूषण कारक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः

(1) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्रदान करते समय अनुबन्ध पत्र में इस शर्त को शामिल किया जाये कि अनुज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि के अतिरिक्त वार्षिक विज्ञापन कर के 10 प्रतिशत की धनराशि ''जमानत राशि'' के रूप में जमा कराई जाय। विज्ञापन कर्ता द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों से किसी प्रकार की कोई क्षति होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति जमानत की धनराशि से की जाय किन्तु कोई क्षति न होने की दशा में अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर उक्त जमा की गई अतिरिक्त धनराशि विज्ञापन कर्ता को वापस कर दी जाय।

(2) जिन विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के विज्ञापन कर की धनराशि बकाया है, उसे नगर निगमों के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 503 एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173–क के प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(3) होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के लगाने वाले विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध विगत 05 वर्षो में बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण शासन को निम्न प्रपत्र पर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जायः

क.	नागर निकाय का नाम	विज्ञापन की बकाया धनराशि					विज्ञापन कर्ता/ऐजेन्सी का नाम व पता
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।